हरियाणा सरकार

कृषि विभाग

अधिसूचना

दिनांक 4 जनवरी, 2008

संख्या 2349. कृषि० अनु० (1) 2008/279.— पंजाब कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का पंजाब अधिनियम 23), की धारा 43 की उपधारा (2) के खण्ड (xxviii), (xxix) तथा (xxx) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः—

भाग – I

सामान्य

1. (1) ये नियम हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा नियम, 2008, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम तथा लागूकरण।

(2) ये विशेष करारनामे द्वारा शासित कर्मचारियों के सिवाए बोर्ड की सेवा के सभी कर्मचारियों को लागू होंगे :

परन्तु प्रतिनियुक्ति पर सरकारी कर्मचारियों के मामले में, ये उनकी प्रतिनियुक्ति के निबन्धनों तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट सीमा तक लागू होंगे ।

2. (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो— परिभाषाएं।

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय है, पंजाब कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का पंजाब अधिनियम 23);

(ख) "प्रशासकीय समिति" से अभिप्राय है, बोर्ड द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक तथा मुख्य महाप्रबन्धक को मिला कर गठित प्रशासकीय समिति;

(ग) "प्रशासकीय अधिकारी" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड का प्रशासकीय अधिकारी;

(घ) "परिशिष्ट" से अभिप्राय है, इन नियमों का परिशिष्ट;

(ङ) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्राय है, इन नियमों के नियम 6 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट बोर्ड का नियुक्ति प्राधिकारी;

(च) "अध्यक्ष" से अभिप्राय है, बोर्ड का अध्यक्ष;

(ज) "आयोग" से अभिप्राय है, सरकार द्वारा गठित, यथास्थिति, हरियाणा लोक सेवा आयोग या हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग;

(झ) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति से अन्यथा की गई हो;

(ञ) "शिक्षा बोर्ड" से अभिप्राय है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1969 (1969 का अधिनियम 11), के उपबन्धों के अधीन स्थापित हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड या भारत के किन्हीं राज्यों में विधि द्वारा स्थापित कोई अन्य शिक्षा बोर्ड;

(ट) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा सरकार;

(ठ) "प्रबन्ध निदेशक" से अभिप्राय है, बोर्ड का प्रबन्ध निदेशक ;

(ड) "गैर तकनीकी पद" से अभिप्राय है, पद जिनकी तकनीकी योग्यताएं अपेक्षित नहीं हैं ;

(ढ) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है—

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय; या

(ii) कोई अन्य विश्वविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो ;

(छ) "मुख्य महा प्रबन्धक" से अभिप्राय है, बोर्ड का मुख्य महाप्रबन्धक;

(ण) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा; तथा

(त) "तकनीकी पद" से अभिप्राय है, पद जिनकी तकनीकी योग्यताएं अपेक्षित हैं ।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो क्रमशः उन्हें हरियाणा राज्य को यथा लागू पंजाब कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का पंजाब अधिनियम 23), तथा पंजाब सिविल सेवा नियम, जिल्द –I तथा II में दिया गया है ।

भाग II

सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप ।

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट क में बताए गए पद होंगे :

परन्तु इन नियमों में की गई कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्वि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के लिए बोर्ड के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

सेवा में नियुक्त किए गए उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता तथा चरित्र।

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जबकि, वह निम्नलिखित न हो–

(क) भारत का नागरिक; या

(ख) नेपाल की प्रजा; या

(ग) भुटान की प्रजा; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी जो पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशाय से आया हो; या

(ड·) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा कीनिया, युगांडा तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानीका तथा जंजीवार) जांबिया, मलावी, जायरे और इंथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीका देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) या (ड·) से सम्बन्धित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो ।

(2) कोई भी व्यक्ति जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण पत्र जारी करना आवश्यक हो, आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है परन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है ।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि वह–

(क) अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या ऐसी संस्था, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली भान्ति परिचित हों और जो उस विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों उसी प्रकार के प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करे ; तथा

(ख) पंजाब सिविल सेवा नियम, वाल्यूम–I, भाग–I के नियम 3.1 के अधीन यथा अपेक्षित शारीरिक उपयुक्तता का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करे ।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि वह आवेदनों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि को सत्रह वर्ष की आयु से कम का या चालीस वर्ष की आयु से अधिक का हो: आयु ।

परन्तु निम्नतर तथा उच्चतर आयु सीमा ऐसी होगी जो समय–समय पर सरकार द्वारा नियत की जाए:

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, पिछडे वर्गों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक विकलागों से सम्बन्धित उम्मीदवारों की दशा में उच्चतर आयु सीमा ऐसी होगी जो समय–समय पर सरकार द्वारा नियत की जाए:

परन्तु यह और कि बोर्ड की सेवा में पहले से ही लगे उम्मीदवारों की दशा में उपरोक्त यथाविनिर्दिष्ट अधिकतम उच्चतर आयु सीमा से ऊपर पांच वर्ष तथा जो समय समय पर बोर्ड द्वारा नियत की जाए, की छूट होगी ।

6. सेवा में पदों की नियुक्तियां नीचे दी गई तालिका के खाना 2 तथा उक्त अनुसूची के खाना 3 में प्रत्येक के सामने वर्णित प्राधिकारियों द्वारा की जाएंगी:– नियुक्ति प्राधिकारी ।

तालिका

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति अधिकारी
1	2	3
1	अध्यक्ष	
2	प्रबन्ध निदेशक	सरकार
3	अपर प्रबन्ध निदेशक	
4	महाप्रबन्धक (वित्त तथा लेखा)	प्रशासकीय समिति
5	मुख्य महाप्रबन्धक	सरकार
6	मुख्य अभियन्ता	प्रशासकीय समिति
7	मुख्य महाप्रबन्धक, विकास एवं जांच अधिकारी	
8	जिला न्यायवादी	सरकार
9	वरिष्ठ नगर योजनाकार	
10	वास्तुकार	प्रशासकीय समिति
11	क्षेत्रीय प्रबन्धक	सरकार
12	महाप्रबन्धक	
13	अपर महाप्रबन्धक	
14	अधीक्षण अभियन्ता	
15	प्रशासकीय अधिकारी	
16	उप जोनल प्रबन्धक (प्रवर्तन)	
17	कार्यकारी अभियन्ता	
18	सहायक वास्तुकार	
19	उप महाप्रबन्धक (वित्त तथा लेखा)	प्रशासकीय समिति
20	जिला महाप्रबन्धक (प्रवर्तन)	
21	उप मण्डल अभियन्ता	
22	उप मण्डल अभियन्ता (भू–दृश्य–निर्माण)	

1	2	3
23	कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव	
24	पुस्तकाध्यक्ष	प्रशासकीय समिति
25	वास्तुकला सहायक	
26	निजी सचिव	
27	सहायक जिला न्यायवादी	
28	सहायक महाप्रबन्धक (वित्त तथा लेखा)	
29	अधीक्षक	
30	सहायक लेखा अधिकारी / अनुभाग अधिकारी	
31	मण्डल लेखाकार	
32	वरिष्ठ प्रारूपकार (वास्तुकार)	
33	वाणिज्यिक लेखाकार	
34	परिमण्डल मुख्य प्रारूपकार	
35	कनिष्ठ प्रारूपकार (वास्तुकार)	
36	निजी सहायक	
37	उप अधीक्षक	
38	सहायक सचिव	
39	कृषि कारबार प्रबन्धक	
40	मुख्य प्रारूपकार	
41	कनिष्ठ अभियन्ता	
42	कनिष्ठ अभियन्ता (भू–दृश्य–निर्माण)	
43	सांख्यिकीय सहायक	
44	कानूनगो	
45	सहायक प्रारूपकार (वास्तुकार)	
46	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	
47	सहायक (लेखा)	
48	लेखाकार (मण्डी समिति)	प्रबन्ध निदेशक
49	सहायक प्रारूपकार	
50	मण्डी पर्यवेक्षक एवं फीस कलक्टर	
51	सहायक	
52	लेखा परीक्षक	
53	सहायक अग्नि उप अधिकारी	
54	पलम्बर	
55	इलैक्ट्रीशियन	
56	मोटर मैकेनिक	
57	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	
58	चालक संचालक	
59	लीडिंग फायरमैन	
60	चालक	
61	पटवारी	

1	2	3
62	कम्प्यूटर संचालक	प्रबन्ध निदेशक
63	रैस्टोरर	
64	डूप्लीकेटिंग मशीन संचालक	
65	बस परिचालक	
66	लिपिक	
67	आशुटंकक	
68	फायरमैन	
69	नीलामी रिकार्डर	
70	नलकूप संचालक	
71	दफतरी	मुख्य महाप्रबन्धक
72	जमादार	
73	रोड़ रोलर क्लीनर	
74	माली	
75	फैरो खलासी	
76	स्वीपर	
77	सेवादार एवं चौकीदार	
78	ट्रक क्लीनर	

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में विनिर्दिष्ट तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट अर्हतायें तथा अनुभव न रखता हो : अर्हताएं।

परन्तु कर्मचारियों के आरक्षित प्रवर्गों की सीधी भर्ती की दशा में, अनुभव सम्बन्धी शर्त में नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जाएगी यदि अनुसूचित जातियों, पिछडे वर्गों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्गों में उनके लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो, ऐसा करने के लिये लिखित रूप में कारण दिये जायेंगे ।

8. (1) कोई भी व्यक्ति, – निरर्हताएं।

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है ; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की इस सम्बन्ध में सन्तुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

(2) कोई भी व्यक्ति सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसे भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारण या निगम की सेवा से पदच्युत किया गया है ।

9. तीन हजार पाचास रुपए प्रतिमास अथवा आठ हजार रुपए प्रतिमास से अनधिक के प्रारम्भिक वेतन वाले पदों की सभी सीधी भर्तियां हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाएंगी । भर्ती का स्रोत ।

10. सेवा में भर्ती इन नियमों के परिशिष्ट ख में यथा विनिर्दिष्ट रीति में की जाएगी । भर्ती का ढंग।

पदोन्नति की प्रक्रिया। **11.** पदों के सम्बन्ध में पदोन्नति ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएगी और केवल ज्येष्ठता ऐसी पदोन्नति के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।

परिवीक्षा। **12.** (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिये और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेगा :

परन्तु–

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि, परिवीक्षा की अवधि में गिनी जाएगी;

(ख) स्थानापन्न द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन निश्चित परिवीक्षा अवधि में गिनने की अनुमति दी जा सकती है; या

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी, कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थाई पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा ।

(2) यदि, नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण सन्तोषजनक न रहा हो तो वह,–

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है ; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो,–

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ; या

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें ।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्त प्राधिकारी–

(क) यदि उसकी राय में इसका कार्य या आचरण सन्तोषजनक रहा हो तो–

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(ii) ऐसे व्यक्तियों को,यदि वह अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक ढंग से पूरी कर ली है ; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में सन्तोषजनक न रहा हो, तो–

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे सेवा से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें ; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढाई गई अवधि, यदि कोई है, भी शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

13. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर सेवा में उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जाएगी : ज्येष्ठता।

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिये अलग – अलग निश्चित की जाएगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय इन नियमों में वर्णित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निश्चित योग्यता क्रम भंग नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जाएगी:--

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता, ऐसी नियुक्तियों में से ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी जिनसे ये पदोन्नति या स्थानान्तरित किए गए थे ; और

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उसकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जाएगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी ज्येष्ठता उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जाएगी और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा ।

टिप्पणः– केवल अस्थायी आधार पर नियुक्त सेवा के सदस्यों या दैनिक वेतन भोगी/संविदात्मक आधार पर नियुक्त व्यक्ति की ज्येष्ठता तब निर्धारित की जाएगी जब वे ऐसी नियमित नियुक्ति की तिथि को ध्यान में रखते हुए नियमित रूप से नियुक्त हुए हैं ।

14. सेवा का सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा या इस निमित्त उस द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य के भीतर अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए आदेश दिए जाने पर, ऐसा करने के लिए दायी होगा । सेवा का दायित्व।

15. (1) वेतन, छुट्टी, पेंशन, भविष्य निधि तथा अन्य मामलों के सम्बन्ध में जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य पंजाब सिविल सेवा नियम तथा ऐसे अन्य नियमों तथा विनियमों द्वारा नियन्त्रित होंगे जो सरकार द्वारा बनाए गए हों तथा उसके बाद बोर्ड द्वारा अपनाए गए हों । वेतन, छुट्टी, पेंशन, भविष्य निधि तथा अन्य मामले।

(2) पेंशन, भविष्य निधि तथा उपदान के सम्बन्ध में, सेवा के सदस्य हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड तथा मण्डी समिति कर्मचारी पेंशन, भविष्य निधि तथा उपदान नियम, 1989 द्वारा नियन्त्रित होंगे ।

16. (1) आचरण, अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में, सेवा के सदस्य समय–समय पर यथा संशोधित सरकारी कर्मचारी (आचरण) नियम, 1966 तथा हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियन्त्रित होंगे : आचरण, अनुशासन, शास्तियां तथा अपील।

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील अधिकारी, पंजाब कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का पंजाब अधिनियम 23), की धारा 43 की उप धारा (2) के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट किए गए हैं ।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 के नियम 9 के उप नियम (1) के खण्ड (ग) या (घ) के अधीन आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट है ।

17. सेवा का प्रत्येक सदस्य टीका लगवाएगा या जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, पुनः टीका लगवाएगा । टीका लगवाना।

राजनिष्ठा की शपथ ।

18. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी ।

आरक्षण।

19. इन नियमों में दी गई कोई बात, राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय समय पर जारी किए गए आदशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछडे वर्गों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग को दिए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार किए गए आरक्षणों की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

विशेष उपबन्ध।

20. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि ऐसा करना उचित समझे तो वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगा सकता है ।

संवर्ग का बदलना।

21. नियुक्ति प्राधिकारी को सेवा के सदस्य का संवर्ग बदलने का विवेकाधिकार होगा परन्तु संवर्ग बदलने का विकल्प सदस्य द्वारा सम्पूर्ण सेवा में केवल एक बार प्रयोग किया जा सकता है ।

सेवा से त्यागपत्र।

22. यदि सेवा का सदस्य सेवा से पदत्याग करना चाहता है, तो वह नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में एक मास का नोटिस देगा । यदि सदस्य ऐसे नोटिस को एक मास या न्यूनतम अवधि में देने से असफल रहता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी नोटिस के बदले में सामान्य भत्ते सहित एक मास का वेतन या एक मास की ऐसी शेष अवधि की सीमा तक सामान्य भत्तों सहित वेतन, जैसी भी स्थिति हो, वसूल करने का हकदार होगा ।

ढील देने की शक्ति।

23. जहां बोर्ड की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो, वहां वह बोर्ड के अनुमोदन से कारण लिखकर, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकता है ।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

24. हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा नियम, 1974, इसके द्वारा, निरसित किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जाएगी ।

परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान (रुपयों में)
1	2	3	4
1	अध्यक्ष	01	मानदेय
2	प्रबन्ध निदेशक	01	पदधारी के वेतन के अनुसार
3	अपर प्रबन्ध निदेशक	01	पदधारी के वेतन के अनुसार
4	महाप्रबन्धक (वित्त तथा लेखा)	01	पदधारी के वेतन के अनुसार
5	मुख्य महाप्रबन्धक	01	पदधारी के वेतन के अनुसार
6	मुख्य अभियन्ता	01	16400–450–20900
7	मुख्य महाप्रबन्धक, विकास एवं जांच अधिकारी	01	पदधारी के वेतन के अनुसार
8	जिला न्यायवादी	01	पदधारी के वेतन के अनुसार
9	वरिष्ठ नगर योजनाकार	01	पदधारी के वेतन के अनुसार
10	वास्तुकार	01	पदधारी के वेतन के अनुसार
11	क्षेत्रीय प्रबन्धक	03	पदधारी के वेतन के अनुसार
12	महाप्रबन्धक	01	13500–375–17250
13	अपर महाप्रबन्धक	01	12000–375–16500
14	अधीक्षण अभियन्ता	06	12000–375–16500
15	प्रशासकीय अधिकारी	02	10000–375–13900
16	उप क्षेत्रीय प्रबन्धक (प्रवर्तन)	04	10000–325–13900
17	कार्यकारी अभियन्ता	सिविल = 20 विद्युत = 02 जन स्वास्थ्य = 01 मैकेनिकल = 01 (डिमिनीशिंग)	10000–325–13900
18	सहायक वास्तुकार	01	8000–275–10200–द०रो०–275–13500
19	उप महाप्रबन्धक (वित्त तथा लेखा)	02	8000–275–10200–द०रो०–275–13500
20	जिला महाप्रबन्धक (प्रवर्तन)	12	8000–275–10200–द०रो०–275–13500
21	उप मण्डल अभियन्ता	सिविल = 72 विद्युत = 06 जनस्वास्थ्य = 03 मैकेनिकल = 01	8000–275–10200–द०रो०–275–13500
22	उप मण्डल अभियन्ता (भू–दृश्य–निर्माण)	01	8000–275–10200–द०रो०–275–13500

1	2	3	4
23	कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव	106	7450–225–9025–द०रो०–225–11500
24	पुस्तकाध्यक्ष	01	6500–200–8500–द०रो०–200–10500
25	वास्तुकला सहायक	01	6500–200–8500–द०रो०–200–10500
26	निजी सचिव	02	6500–200–8500–द०रो०–200–10500
27	सहायक जिला न्यायवादी	03	6500–200–8500–द०रो०–200–10500
28	सहायक महाप्रबन्धक (वित्त तथा लेखा)	06	6500–200–8500–द०रो०–200–10500
29	अधीक्षक	07	6500–200–8500–द०रो०–200–10500
30	सहायक लेखा अधिकारी / अनुभाग अधिकारी	08	6500–200–8500–द०रो०–200–10500
31	मण्डलीय लेखाकार	21	6500–200–8500–द०रो०–200–10500
32	वरिष्ठ प्रारूपकार (वास्तुकार)	02	6500–200–8500–द०रो०–175–9900
33	वाणिज्यिक लेखाकार	03	6500–200–8500–द०रो०–175–9900
34	परिमण्डल मुख्य प्रारूपकार सिविल	08	6500–200–8500–द०रो०–175–9900
35	कनिष्ठ प्रारूपकार (वास्तुकार)	04	5500–175–8300–द०रो०–175–9000
36	निजी सहायक	05	5500–175–8300–द०रो०–175–9000 जमा विशेष वेतन
37	उप अधीक्षक	06	5500–175–8300–द०रो०–175–9000
38	सहायक सचिव	177	5500–175–8300–द०रो०–175–9000
39	कृषि–कारबार प्रबन्धक	21	5500–175–8300–द०रो०–175–9000
40	मुख्य प्रारूपकार	सिविल = 20 विद्युत = 1	5500–175–8300–द०रो०–175–9000
41	कनिष्ठ अभियन्ता	सिविल = 229 विद्युत = 19 मैकेनिकल = 06 जन स्वास्थ्य = 09	6500–200–8500–द०रो०–200–9900 ग्रेड–I 6500–200–8500–द०रो०–200–9900 ग्रेड–II
42	कनिष्ठ अभियन्ता (भू–दृश्य–निर्माण)	01	6500–200–8500–द०रो०–200–9900
43	सांख्यिकीय सहायक	04	5450–150–6950–द०रो०–150–8000
44	कानूनगो	01 डिमिनीशिंग	5000–150–7100–द०रो०–150–7850
45	सहायक प्रारूपकार (वास्तुकार)	02	5000–150–7100–द०रो०–150–7850
46	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	10	5000–150–7100–द०रो०–150–7850
47	सहायक लेखा	102	5000–150–7100–द०रो०–150–7850
48	लेखाकार मण्डी समिति	129	5000–150–7100–द०रो०–150–7850
49	सहायक प्रारूपकार सिविल	41	5000–150–7100–द०रो०–150–7850
50	मण्डी पर्यवेक्षक एवं फीस कलक्टर	455	5000–150–7100–द०रो०–150–7850
51	सहायक	72	5000–150–7100–द०रो०–150–7850

1	2	3	4
52	लेखा परीक्षक	02	5000–150–7100–द०रो०–150–7850
53	सहायक अग्नि उप अधिकारी	18	5000–150–7100–द०रो०–150–7850
54	पलम्बर	10 डिमिनीशिंग	डिप्लोमाधारक के लिए 4000–100–4800–द०रो०–100–6000 तथा अन्य के लिए 3050–75–3950–द०रो०–80–4590
55	इलैक्ट्रीशियन	12 डिमिनीशिंग	3050–75–3950–द०रो०–80–4590
56	मोटर मैकेनिक	01	4000–100–4800–द०रो०–100–6000
57	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	11	4000–100–4800–द०रो०–100–6000
58	चालक आप्रेटर	14 डिमिनीशिंग	4000–100–4800–द०रो०–100–6000
59	लीडिंग फायरमैन	14 डिमिनीशिंग	4000–100–4800–द०रो०–100–6000
60	चालक	कार एवं जीप चालक = 114 टैक्टर चालक = 42 ट्रक चालक = 20 रोड रोलर चालक = 46 तथा बस चालक = 1	4000–100–4800–द०रो०–100–6000 *टिप्पण:* केवल कार एवं जीप चालकों को 300/–रुपये विशेष वेतन।
61	पटवारी	01	3050–75–3950–द०रो०–80–4590
62	कम्प्यूटर संचालक	01 डिमिनीशिंग	3050–75–3950–द०रो०–80–4590
63	रैस्टोरर	01	3050–75–3950–द०रो०–80–4590
64	डूप्लीकेटिंग मशीन संचालक	01	3050–75–3950–द०रो०–80–4590
65	बस परिचालक	01	3050–75–3950–द०रो०–80–4590
66	लिपिक	203	3050–75–3950–द०रो०–80–4590
67	आशुलिपिक	29	3050–75–3950–द०रो०–80–4590 जमा विशेष वेतन
68	फायरमैन	53 डिमिनीशिंग	3050–75–3950–द०रो०–80–4590
69	नीलामी रिकार्डर	984	3050–75–3950–द०रो०–80–4590
70	नलकूप चालक	09 डिमिनीशिंग	3050–75–3950–द०रो०–80–4350
71	दफतरी	02	2650–65–3300–द०रो०–70–4000
72	जमादार	02	2650–65–3300–द०रो०–70–4000
73	रोड रोलर क्लीनर	01 डिमिनीशिंग	2550–55–2660–द०रो०–60–3200
74	माली	03 डिमिनीशिंग	2550–55–2660–द०रो०–60–3200
75	फैरो खलासी	05 डिमिनीशिंग	2550–55–2660–द०रो०–60–3200
76	स्वीपर	20 डिमिनीशिंग	2550–55–2660–द०रो०–60–3200
77	सेवादार एवं चौकीदार	253	2550–55–2660–द०रो०–60–3200
78	ट्रक क्लीनर	04	2550–55–2660–द०रो०–60–3200

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7 तथा 10)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	भर्ती का ढंग
1	2	3	4	5
1	अध्यक्ष	—	—	सरकार द्वारा मनोनीत
2	प्रबन्ध निदेशक		आई०ए०एस०	किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।
3	अपर प्रबन्ध निदेशक	—	आई०ए०एस०	किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।
4	महाप्रबन्धक (वित्त तथा लेखा)	—	(i) वरिष्ठ उप महा–लेखाकार/उप महालेखाकार की पदवी का भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा का कोई अधिकारी ; या (ii) वरिष्ठ लेखा अधिकारी/उप महाप्रबन्धक (वित्त तथा लेखा) सहित राज्य लेखा सेवा (एस०ए०एस०)/ कारबार प्रशासन में मास्टर (वित्त)/चार्टरड अकांउटैंट/आई०सी०डब्ल्यू०ए० में तीन वर्ष का अनुभव रखता हो।	वरिष्ठ लेखा अधिकारी/उप महा प्रबन्धक (वित्त तथा लेखा) में से पदोन्नति द्वारा या किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।
5	मुख्य महा प्रबन्धक	—	एच०सी०एस०	राज्य सरकार की सेवा ने पहले से लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
6	मुख्य अभियन्ता	—	अधीक्षण अभियन्ता के रूप में तीन वर्ष का अनुभव।	अधीक्षण अभियन्ता में से पदोन्नति द्वारा या किसी राज्य सरकार या भारत सरकार, बोर्ड या निगम या वैज्ञानिक निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
7	मुख्य महाप्रबन्धक विकास एवं जांच अधिकारी	—	एच०सी०एस०	राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
8	जिला न्यायवादी	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की डिग्री तथा जिसने बार में पांच वर्ष की अवधि से कम प्रैक्टिस न की हो ।	जो सम्बद्ध विभाग द्वारा विहित की जाए।	अभियोजन विभाग हरियाणा से किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।
9	वरिष्ठ नगर योजनाकार	—	जो सम्बद्ध विभाग द्वारा विहित की जाए ।	नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा से किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।
10	वास्तुकार	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वास्तुकला में डिग्री या वास्तुकला परिषद् द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त तथा पंजीकृत भारतीय वास्तुकार संस्थान से	सहायक वास्तुकार के रूप में सात वर्ष का अनुभव।	सीधी भर्ती द्वारा या सहायक वास्तुकार में से पदोन्नति द्वारा या किसी राज्य सरकार या बोर्ड/निगम/वैधानिक निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

1	2	3	4	5
		वास्तुकला में समकक्ष डिप्लोमा तथा विख्यात संस्थान/फर्म में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो ; (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी/संस्कृत ।		
11	क्षेत्रीय प्रबन्धक	–	एच०सी०एस०	राज्य सरकार की सेवा मं पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
12	महाप्रबन्धक	–	अपर महाप्रबन्धक के रूप में दो वर्ष का अनुभव।	अपर महाप्रबन्धक में से पदोन्नति द्वारा ।
13	अपर महाप्रबन्धक	–	उप क्षेत्रीय प्रबन्धक (पर्वतन) के रूप में दो वर्ष का अनुभव ।	उप महाप्रबन्धक (प्रर्वतन) में से पदोन्नति द्वारा ।
14	अधीक्षण अभियन्ता	–	सम्बन्धित इंजीनियरिंग शाखा में कार्यकारी अभियन्ता के रूप में सात वर्ष का अनुभव।	(i) सतासठ प्रतिशत कार्यकारी अभियन्ता में से पदोन्नति द्वारा; (ii) तैतीस प्रतिशत किसी राज्य सरकार या भारत सरकार या बोर्ड या निगम या वैद्यानिक निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।
15	प्रशासकीय अधिकारी	–	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक सहित अधीक्षक/निजी सचिव के रूप में तीन वर्ष का अनुभव।	अधीक्षक/निजी सचिव मे से पदोन्नति द्वारा या राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा । *टिप्पण:* अधीक्षक तथा निजी सचिव 4:1 के अनुपात में पदोन्नत होगे: परन्तु निजी सचिव के संवर्ग से इस पद की कुल संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।
16	उप क्षेत्रीय प्रबन्धक (प्रर्वतन)	–	जिला महाप्रबन्धक (प्रर्वतन) के रूप में तीन वर्ष की अनुभव।	जिला महाप्रबन्धक (प्रर्वतन) में से पदोन्नति द्वारा।
17	कार्यकारी अभियन्ता	–	(i) उप मण्डल अभियन्ता के रूप में छह वर्ष का अनुभव; (ii) सिविल/इलैक्ट्रीकल/इलैक्ट्रोनिक तथा कमनीकेशन में इंजीनियरिंग में स्नातक/टैक्नोलोजी में स्नातक या सम्बद्ध इंजीनियरिंग शाखा में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इसके समकक्ष; (iii) बोर्ड द्वारा यथाविहित विभागीय परीक्षा पास की हो।	(i) सतासठ प्रतिशत उप मण्डल अभियन्ता में से पदोन्नति द्वारा ; तथा (ii) तैतीस प्रतिशत किसी राज्य सरकार या भारत सरकार या बोर्ड या निगम या वैधानिक निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।
18	सहायक वास्तुकार	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वास्तुकला में डिग्री या वास्तुकला परिषद् द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त तथा पंजीकृत भारतीय वास्तुकार संस्थान से वास्तुकला में समकक्ष डिप्लोमा तथा विख्यात संस्थान/फर्म में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो ;	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वास्तुकला में डिग्री की दशा में वास्तुशिल्पीय सहायक सहित तीन वर्ष का अनुभव या किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से वास्तुशिल्पीय असिसटैन्टशिप में तीन वर्ष का डिप्लोमा रखने वाले की दशा में पांच वर्ष का अनुभव।	सीधी भर्ती द्वारा या वास्तुशिल्पीय सहायक में से पदोन्नति द्वारा या राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या वैधानिक निकाय की सेवा में से पहले ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या पदोन्नति द्वारा।

1	2	3	4	5
		(ii) दसवी स्तर तक हिन्दी/संस्कृत।		
19	उप महाप्रबन्धक (वित्त तथा लेखा)	—	तीन वर्ष के अनुभव सहित लेखा अधिकारी, राज्य लेखा अधिकारी (एस.ए.एस.)/सहायक महाप्रबन्धक (वित्त तथा लेखा)	लेखा अधिकारी/ सहायक महा-प्रबन्धक (वित्त तथा लेखा) में से पदोन्नति द्वारा या राज्य सरकार या भारत सरकार या बोर्ड या निगम या वैद्यानिक निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
20	जिला महा प्रबन्धक (प्रवर्तन)	—	कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव के रूप में पांच वर्ष के अनुभव सहित किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मार्किटिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।	कार्यकारी अधिकारी एवं सचिवों में से पदोन्नति द्वारा ।
21	उप मण्डल अभियन्ता	सिविल, इलैक्ट्रीकल/ इलैक्ट्रोनिक्स तथा कमनीकेशन इंजीनियरिंग में स्नातक/टैक्नोलोजी में स्नातक या सम्बद्ध इंजीनियरिंग शाखा में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पचपन प्रतिशत अंकों सहित इसके समकक्ष तथा दसवी स्तर तक हिन्दी/संस्कृत ।	सिविल, इलैक्ट्रीकल/इलैक्ट्रोनिक्स तथा कमनीकेशन इंजीनियरिंग में तीन वर्ष के डिप्लोमा सहित कनिष्ठ अभियन्ता/परिमण्डल मुख्य प्रारुपकार/सहायक प्रारुपकार के रूप में 10 वर्ष का अनुभव।	(क) सीधी भर्ती द्वारा ; तथा 40 प्रतिशत (ख) पदोन्नति द्वारा– (i) कनिष्ठ अभियन्ता में से ; 40 प्रतिशत (ii) परिमण्डल मुख्य प्रारुपकार में से ; 6.67 प्रतिशत (iii) सहयुक्त सदस्य इंजीनियरिंग संस्था की योग्यता रखने वाले कनिष्ठ अभियन्ता या इंजीनियरिंग स्नातक में से; 10.33 प्रतिशत (iv) सहयुक्त सदस्य इंजीनियरिंग संस्था की योग्यता रखने वाले सहायक प्रारुपकार या इंजीनियरिंग स्नातक में से । 3 प्रतिशत *टिप्पण 1:* यदि स्रोत (iii) तथा (iv) से कोई उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, तो रिक्ति सीधी भर्ती से भरी जाएगी। *टिप्पण 2:* यदि स्रोत (क) या स्रोत (ख) के (ii) से उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तथा किसी व्यक्ति को आंबटित स्रोत से भिन्न अस्थायी प्रबन्ध के रूप में लोकहित में नियुक्त किया गया है ऐसा कर्मचारी जब कोई उम्मीदवार आंबटित स्रोत से उपलब्ध है, तो वह अपने मूल संवर्ग में लौट आने के लिए दायी होगा तथा ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई सेवा अवधि वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए नहीं गिनी जाएगी।
22	उप मण्डल अभियन्ता (भू–दृश्य–निर्माण)	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय (जो वास्तुकला परिषद् से पंजीकृत हो) से	दस वर्ष के अनुभव सहित कनिष्ठ अभियन्ता (भू–दृश्य–निर्माण)	(i) सीधी भर्ती द्वारा या राज्य सरकार या निगम या बोर्ड या वैधानिक निकाय की सेवा में पहले से ही

1	2	3	4	5
		वास्तुकला से स्नातक होना चाहिए; (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से लैंडस्काय, भू-दृश्य-निर्माण, डिजाइन में स्नातकोत्तर या समकक्ष इसमें डिग्री रखता हो ; (iii) दसवीं तक हिन्दी/संस्कृत		लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ; या (ii) कनिष्ठ अभियन्ता (भू-दृश्य-निर्माण) में से पदोन्नति द्वारा ।
23	कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव	किसी भी डिसप्लिन मे 55 प्रतिशत अंको सहित स्नातकोत्तर सहित मार्किटिंग में डिप्लोमा या कारबार प्रशासन मार्किटिंग में मास्टर सहित 55 प्रतिशत अंक। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से कृषि मार्किटिंग या कृषि कारबार में डिप्लोमा को अधिमान दिया जाएगा तथा दसवीं स्तर तक हिन्दी/संस्कृत।	सहायक सचिव/सांख्यिकीय सहायक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव।	(i) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; तथा (ii) पचास प्रतिशत पदोन्नति द्वारा ; (क) अड़तालीस प्रतिशत सहायक सचिवो में से ; तथा (ख) दो प्रतिशत सांख्यकीय सहायकों में से।
24	पुस्तकाध्यक्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर सहित दसवीं स्तर तक हिन्दी/संस्कृत।	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर।	सीधी भर्ती द्वारा या राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या वैधानिक निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
25	वास्तुशिल्पीय सहायक	—	वरिष्ठ प्रारूपकार (वास्तुकला) के रूप में छह वर्ष का अनुभव।	वरिष्ठ प्रारूपकार (वास्तुकला) में से पदोन्नति द्वारा या राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या वैधानिक निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
26	निजी सचिव	—	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक सहित निजी सहायक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव।	निजी सहायक में से पदोन्नति द्वारा या राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या वैधानिक निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
27	सहायक जिला न्यायवादी	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक डिग्री ; तथा जिसने बार में कम से कम दो वर्ष प्रैक्टिस की हो तथा दसवीं स्तर तक हिन्दी/संस्कृत ।	अभियोजन विभाग, हरियाणा द्वारा यथा विहित।	सीधी भर्ती द्वारा या अभियोजन विभाग, हरियाणा से स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।
28	सहायक महाप्रबन्धक (वित्त तथा लेखा)	कारबार प्रशासन (वित्त) में मास्टर 55 प्रतिशत अंको सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से चार्टरड अकाउंटैंट या भारतीय कास्ट वर्कस अकाउटैंसी (आई०सी०डब्लयू०ए०)	सहायक लेखा अधिकारी/अनुभाग अधिकारी के रूप में तीन वर्ष का अनुभव।	(i) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा या राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या निगमित निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ; (ii) पचास प्रतिशत सहायक लेखा अधिकारी अनुभाग अधिकारी में से पदोन्नति द्वारा।
29	अधीक्षक	—	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक सहित उप अधीक्षक के रूप में एक वर्ष/सहायक या निजी सहायक के रूप में दस वर्ष का अनुभव।	उप अधीक्षक/सहायक/निजी सहायक में से पदोन्नति द्वारा या राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या वैधानिक निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

1	2	3	4	5
				टिप्पणः— उप अधीक्षक/सहायक तथा निजी सहायक 6:1 के अनुपात में पदोन्नत किये जाएंगे परन्तु तीसरा पद निजी सहायक को जाएगा। निजी सहायक के काडर से इस पद पर कुल संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
30	सहायक लेखा अधिकारी / अनुभाग अधिकारी	मान्यता प्राप्त विश्व–विद्यालय से पचास प्रतिशत अंकों सहित वाणिज्यिक स्नातकोत्तर सहित विख्यात फर्म में पांच वर्ष का अनुभव तथा दसवीं स्तर तक हिन्द/संस्कृत।	(i) मण्डल लेखाकार के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; या (ii) राज्य सरकार या भारत सरकार से राज्य लेखा सेवा एस०ए०एस०।	(i) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; (ii) पचास प्रतिशत मण्डल लेखाकार या राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या वैधानिक निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।
31	मण्डलीय लेखाकार	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातकोत्तर पचास प्रतिशत अंकों सहित विख्यात फर्म से 3 वर्ष का अनुभव तथा दसवीं स्तर तक हिन्दी/संस्कृत।	(i) राज्य लेखा सेवा (एस०ए०एस०) ; या (ii) वाणिज्यक स्नातक जो सहायक (लेखा) के रूप में दस वर्ष का अनुभव रखता हो।	(i) तैतीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा या राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या निगमित वैधानिक निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ; (ii) 67 प्रतिशत सहायक (लेखाकार) में से पदोन्नति द्वारा।
32	वरिष्ठ प्रारूपकार (वास्तुकार)	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वास्तुकला में डिप्लोमा या वास्तुकला परिषद् द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त तथा पंजीकृत भारतीय वास्तुकार संस्था से वास्तुकला में समकक्ष डिप्लोमा तथा विख्यात फर्म/संस्था से कम से कम चार वर्ष का अनुभव रखता हो तथा दसवीं स्तर तक हिन्दी/संस्कृत।	कनिष्ठ प्रारूपकार (वास्तुकार) के रूप में सात वर्ष का अनुभव।	पचास प्रतिशत सीधी भर्ती या कनिष्ठ प्रारूपकार (वास्तुकार) में से पदोन्नति द्वारा या राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या वैधानिक निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।
33	वाणिज्यक लेखाकार	डिमिनिशिंग संवर्ग।	—	—
34	परिमण्डल मुख्य प्रारूपकार	—	मुख्य प्रारूपकार के रूप में छह वर्ष का अनुभव।	मुख्य प्रारूपकार में से पदोन्नति द्वारा या राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या वैधनिक निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।
35	कनिष्ठ प्रारूपकार (वास्तुकार)	योग्यता के बाद दो वर्ष के अनुभव सहित वास्तुशिल्पीय असिसटैंटशिप में डिप्लोमा तथा दसवीं स्तर तक हिन्दी/संस्कृत।	योग्यता के बाद दो वर्ष के अनुभव सहित वास्तुशिल्पीय असिसटैंटशिप में डिप्लोमा।	सीधी भर्ती द्वारा या राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या वैधानिक निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।
36	निजी सहायक	—	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में पांच वर्ष के अनुभव सहित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक।	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक में से पदोन्नति द्वारा या राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या वैधानिक निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।
37	उप अधीक्षक	—	सहायक के रूप में सात वर्ष के अनुभव सहित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक	सहायको में से पदोन्नति द्वारा या राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या वैधानिक निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

1	2	3	4	5
38	सहायक सचिव	(i) 55 प्रतिशत अंकों सहित कृषि विज्ञान (आनर्ज) में स्नातक या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मार्किटिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा सहित स्नातक में 55 प्रतिशत अंक; (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी/संस्कृत; (iii) कम्प्यूटर में बेसिक ज्ञान। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था/बोर्ड से कृषि मार्किटिंग या कृषि उद्योग में डिप्लोमा वाले को अधिमान दिया जाएगा।	लेखाकार के रूप में तीन वर्ष या मण्डी पर्यवेक्षक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव जो कम्प्यूटर में बेसिक ज्ञान का प्रमाण पत्र रखता हो।	(i) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; तथा (ii) 15 प्रतिशत लेखकारों में से पदोन्नति द्वारा; (iii) 33 प्रतिशत मण्डी पर्यवेक्षक में से पदोन्नति द्वारा।
39	कृषि उद्योग प्रबन्धक	(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक; (ii) मान्यता प्राप्त विश्व–विद्यालय/डिम्ड विश्व–विद्यालय से वाणिज्य मास्टर/ वाणिज्य प्रबन्धन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या इसके समकक्ष; तथा (iii) दसवीं स्तर तक हिन्दी/संस्कृत।	(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक; तथा (ii) मान्यता प्राप्त विश्व– विद्यालय/डिम्ड विश्वविद्यालय से वाणिज्य से मास्टर/वाणिज्य प्रबन्धन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या इसके समकक्ष।	सीधी भर्ती द्वारा; या किसी राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या वैधानिक निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।
40	मुख्य प्रारूपकार	—	सहायक प्रारूपकार के रूप में सात वर्ष का अनुभव।	(i) सहायक प्रारूपकार में से पदोन्नति द्वारा, या (ii) राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या वैधानिक निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।
41	कनिष्ठ अभियन्ता,सिविल/ विद्युतत्र/मैकेनिकल/ जनस्वास्थ्य	तकनीकी शिक्षा बोर्ड मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल, इलैक्ट्रीकल, इलैक्ट्रोनिक्स तथा कमनिकेशन इंजीनियरिंग से डिग्री या तीन वर्ष का डिप्लोमा तथा दसवीं स्तर तक हिन्दी/संस्कृत।	इंजीनियरिंग की सम्बन्धित शाखा में डिप्लोमा किन्तु इलैक्ट्रीशियन से कनिष्ठ अभियन्ता (इलैक्ट्रीशियन)/वायरमैन में औद्योगिक शिक्षण संस्थान द्वारा जारी राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र सहित मैट्रिक हो या इसके समकक्ष ट्रेड में इलैक्ट्रीशियन या वायरमैन के रूप में पन्द्रह वर्ष की सेवा तथा बोर्ड द्वारा विहित विभागीय परीक्षा पास की हो पदोन्नति के लिए पात्र होगा।	सीधी भर्ती द्वारा या राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या वैद्यानिक निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा। *टिप्पणः*— कनिष्ठ अभियन्ता इलैक्ट्रीकल के 10 प्रतिशत पद/ इलैक्ट्रीशियन/वायरमैन या इसके समकक्ष में से पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे।
42	कनिष्ठ अभियन्ता (भू–दृश्य–निर्माण)	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में डिग्री तथा दसवीं स्तर तक हिन्दी/संस्कृत।	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में डिग्री तथा बोर्ड की ग्रुप ग की तीन वर्ष की सेवा रखता हो।	सीधी भर्ती द्वारा, या ग्रुप ग कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा या राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या वैधानिक निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।
43	सांख्यिकीय सहायक	(i) सांख्यिकीय विषय के साथ सांख्यिकीय या अर्थशास्त्र या गणित या वाणिज्य में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में मास्टर डिग्री; तथा	सांख्यिकीक विषय के साथ सांख्यिकीय या अर्थशास्त्र या गणित या वाणिज्य में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री।	अर्थ तथा सांख्यिकीय संगठन हरियाणा से स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा। अनुपलब्धता की दशा में से पद सीधी भर्ती से भरे जाएगें।

1	2	3	4	5
		(ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी/संस्कृत।		
44	कानूनगो	डिमिनिसिंग संवर्ग	–	–
45	सहायक प्रारूपकार (वास्तुकार)	डिमिनिसिंग संवर्ग	–	–
46	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक ; (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी/संस्कृत ; (iii) अंग्रेजी/हिन्दी आशुलिपि में क्रमशः 100/80 शब्द प्रति मिनट की गति तथा 20/15 शब्द प्रतिमिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ।	(i) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ; तथा (ii) अग्रेजी तथा हिन्दी आशुलिपि में क्रमशः 100/80 शब्द प्रति मिनट तथा 10/15 शब्द प्रति मिनट उसका प्रतिलेखन।	(i) 66 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; तथा (ii) 34 प्रतिशत कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा।
47	सहायक लेखा	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55 प्रतिशत अंकों सहित वाणिज्य स्नातक, मान्यता प्राप्त संस्था से कम्पयूटर में छह मास का प्रमाण पत्र तथा दसवीं स्तर तक हिन्दी/संस्कृत ।	वाणिज्य स्नातक सहित लिपिक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ।	(i) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती ; तथा (ii) 20 प्रतिशत लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा या राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या वैधानिक निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
48	लेखाकार (विपणन समितियां)	(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55 प्रतिशत अंकों के साथ वाणिज्य स्नातक सहित मान्यता प्राप्त संस्था से कम्पयूटर कोर्स में छह मास का प्रमाण पत्र ; तथा (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी/संस्कृत।	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50 प्रतिशत अंकों के साथ वाण्जिय स्नातक सहित मण्डी पर्यवेक्षक/नीलामी रिकार्डर के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ।	(i) नब्बे प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा या बोर्ड या निगम या वैधानिक निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ; (ii) दस प्रतिशत मण्डी पर्यवेक्षक/नीलामी रिकार्डर में से पदोन्नति द्वारा ।
49	सहायक प्रारूपकार	(i) तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बन्धित डिसिप्लीन में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, या मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्था से प्रारूपकार में दो वर्ष का प्रमाण पत्र ; तथा (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी/संस्कृत।	मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बन्धित डिसिप्लीन में इंजीनियरिंग में तीन वर्ष का डिप्लोमा या मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्था से सम्बन्धित डिसिप्लीन में प्रारूपकार मे दो वर्ष का प्रमाण पत्र।	सीधी भर्ती द्वारा, या बोर्ड या निगम या वैधानिक निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
50	मण्डी पर्यवेक्षक एवं फीस कलक्टर	(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक सहित मान्यता प्राप्त संस्था से कम्पयूटर में छह मास का प्रमाण पत्र ; तथा (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी/संस्कृत ।	नीलामी रिकार्डर के रूप में सात वर्ष का अनुभव।	(i) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; तथा (ii) पचास प्रतिशत नीलामी रिकार्डर में से पदोन्नति द्वारा ।
51	सहायक	(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55 प्रतिशत अकों के साथ स्नातक मान्यता प्राप्त संस्था से कम्पयूटर में अप्लीकेशन में स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र ; तथा। (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी/संस्कृत।	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक सहित सहायक लेखा के रूप में सात वर्ष का अनुभव तथा लिपिक के रूप में दस वर्ष का अनुभव।	(i) 33 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; तथा (ii) 67 प्रतिशत सहायक लेखा/लिपिक में से पदोन्नति द्वारा । *टिप्पण:* सहायक लेखा तथा लिपिक 2:3 के अनुपात से पदोन्नत होंगे।

1	2	3	4	5
52	लेखा –परीक्षक	(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55 प्रतिशत अकों के साथ वाणिज्य में स्नातकोत्तर सहित विख्यात फर्म में तीन वर्ष का अनुभव; तथा (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी/संस्कृत।	राज्य लेखा सेवा एस0ए0एस0 या सहायक (लेखा) के रूप में दस वर्ष के अनुभव सहित वाणिज्य स्नातक।	(i) 33 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; या राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या वैधानिक निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा। (ii) 67 प्रतिशत सहायक (लेखा)/लिपिक में से पदोन्नति द्वारा।
53	सहायक अग्नि उप अधिकारी	डिमिनीशिंग संवर्ग	–	–
54	पलम्बर	डिमिनीशिंग संवर्ग	–	–
55	इलैक्ट्रीशियन	डिमिनीशिंग संवर्ग	–	–
56	मोटर मैकेनिक	डिमिनीशिंग संवर्ग	–	–
57	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	(i) 55 प्रतिशत अंकों सहित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक; (ii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से आशुलिपि में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र में एक वर्ष का डिप्लोमा; (iii) दसवीं स्तर तक हिन्दी/संस्कृत; (iv) अंग्रेजी/हिन्दी आशुलिपिक में क्रमशः 100/80 शब्द प्रति मिनट की गति तथा 20/15 शब्द प्रतिमिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ; तथा (v) कम्पयूटर का ज्ञान ।	(i) आशुटंकक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ; तथा (ii) अंगेजी तथा हिन्दी आशुलिपि में क्रमशः 100/80 शब्द प्रतिमिनट तथा 20/15 शब्द प्रतिमिनट से उसका प्रतिलेखन ।	(i) 34 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; तथा (ii) 66 प्रतिशत आशुटंकक में से पदोन्नति द्वारा या राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या वैधानिक निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।
58	चालक आप्रेटर	डिमिनीशिंग संवर्ग	–	संविधा आधार पर
59	लीडिंग फायरमैन	डिमिनीशिंग संवर्ग	–	संविदा आधार पर
60	चालक	**क. भारी परिवहन वाहन** (i) मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से हिन्दी/संस्कृत से दसवीं ; (ii) भारी परिवहन वाहन चालन अनुज्ञप्ति ; तथा (iii) भारी परिवहन वाहन को चलाने में पांच वर्ष का अनुभव। **ख हल्का मोटर वाहन** (i) दसवीं स्तर तक हिन्दी/संस्कृत ; (ii) हल्का मोटर वाहन चालन अनुज्ञप्ति ; तथा (iii) हल्का परिवहन वाहन का चलाने में पांच वर्ष का अनुभव।	**क. भारी परिवहन वाहन** (i) मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से हिन्दी/संस्कृत से दसवीं ; (ii) भारी परिवहन वाहन चालन अनुज्ञप्ति ; तथा (iii) भारी परिवहन वाहन का चालान में पांच वर्ष का अनुभव। **ख हल्का मोटर वाहन** (i) दसवीं स्तर तक हिन्दी/संस्कृत ; (ii) हल्का मोटर वाहन चालन अनुज्ञप्ति ; तथा (iii) हल्का परिवहन वाहन का चलाने में पांच वर्ष का अनुभव।	(i) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; तथा (ii) 20 प्रतिशत बोर्ड/मार्किट समितियों के ग्रुप ग तथा घ के कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा। ग्रुप ग तथा घ के कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए अर्हक अधिकतम आयु पैंतालिस वर्ष होगी । *टिप्पण:* पदोन्नति कोटा से अनुपलब्धता की दशा में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएगी। (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

1	2	3	4	5
61	पटवारी	(i) मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 55 प्रतिशत अकों के साथ वरिष्ठ माध्यमिक या इसके समकक्ष; तथा (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी/संस्कृत; (iii) राजस्व विभाग, हरियाणा द्वारा आयोजित पटवार परीक्षा पास हो ।	(i) मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से हिन्दी संस्कृत से दसवीं ; (ii) राजस्व विभाग, हरियाणा द्वारा आयोजित पटवार परीक्षा पास की हो । (iii) ग्रुप घ के पद पर 2 वर्ष का अनुभव ।	(ii) ग्रुप घ कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या वैधानिक निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।
				–
62	कम्पयूटर आप्रेटर	डिमिनीशिंग संवर्ग	–	–
63	रैस्टोरर	डिमिनीशिंग संवर्ग	डिमिनीशिंग संवर्ग	–
64	डूप्लीकेटिंग मशीन संचालक	डिमिनीशिंग संवर्ग	डिमिनीशिंग संवर्ग	–
65	बस परिचालक	डिमिनिसिंग संवर्ग	–	
66	लिपिक	(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55 प्रतिशत अकों के साथ स्नातक ; (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी/संस्कृत ; (iii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर में छह मास का प्रमाण पत्र; तथा (iv) हिन्दी/अंग्रेजी में क्रमशः 25/30 शब्द प्रति मिनट की गति से टाईप।	(i) ग्रुप घ पद पर पांच वर्ष के अनुभव सहित वरिष्ठ माध्यमिक; (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर में छह मास का प्रमाण पत्र; (iii) नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर हिन्दी/अंग्रेजी में क्रमशः 25/30 शब्द प्रति मिनट की गति से विहित परीक्षा पास करनी होगी, जिसमें असफल होने पर उसे तब तक वार्षिक वेतनवृद्धि (वेतनवृद्धियां) अनुज्ञापत नहीं की जाएगी जब तक वह विहित टाईप परीक्षा पास नहीं करता। टाईप परीक्षा पास करने पर उसे देय वेतनवृद्धि (वेतनवृद्धियां) बिना बकायों के अनुज्ञात होगी ।	(i) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा या राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या वैधानिक निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा; (ii) 20 प्रतिशत बोर्ड के ग्रुप घ कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा ।
67	आशुटंकक	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55 प्रतिशत अंकों के साथ वरिष्ठ माध्यमिक (10+2) या इसके समकक्ष; (ii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से आशुलिपि में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र में एक वर्ष का डिप्लोमा; (iii) दसवी स्तर तक हिन्दी/संस्कृत; (iv) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर में छह मास का प्रमाण पत्र; तथा (v) हिन्दी/अंग्रेजी में क्रमशः 80/60 शब्द प्रति मिनट की गति से आशुलिपिक तथा क्रमशः 15/11 शब्द प्रतिमिनट की गति से उसका प्रतिलेखन।	(i) लिपिक के रूप में एक वर्ष का अनुभव, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर में एक वर्ष का डिप्लोमा; तथा (ii) हिन्दी/अंग्रेजी में क्रमशः 80/60 शब्द प्रति मिनट की गति से आशुलिपि तथा क्रमशः 15/11 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ।	(i) 90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; तथा (ii) 10 प्रतिशत लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा या राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या वैधानिक निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

1	2	3	4	5
68.	फायरमैन	डिमिनीशिंग संवर्ग	—	संविदा आधार पर
69.	नीलामी रिकार्डर	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55 प्रतिशत अकों के साथ स्नातक या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में छह मास का प्रमाण पत्र सहित; तथा (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी/ संस्कृत।	(i) बोर्ड/मण्डी समिति के ग्रुप घ कर्मचारी के रूप में सात वर्ष की सेवा ; (ii) वरिष्ठ माध्यमिक (10+2); (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/ संस्कृत; (iv) कम्प्यूटर का ज्ञान ।	(i) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा या राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या वैधानिक निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा; (ii) 20 प्रतिशत बोर्ड के ग्रुप घ कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा ।
70.	नलकूप संचालक	डिमिनीशिंग संवर्ग	—	सीधी भर्ती द्वारा
71.	दफ्तरी	मैट्रिक पास ।	—	सीधी भर्ती द्वारा
72.	जमादार	मैट्रिक पास ।	—	सीधी भर्ती द्वारा
73.	रोड रौलर क्लीनर	मैट्रिक पास ।	—	सीधी भर्ती द्वारा
74.	माली	मैट्रिक पास ।	—	सीधी भर्ती द्वारा
75.	फैरो खलासी	मैट्रिक पास ।	—	सीधी भर्ती द्वारा
76.	स्वीपर	मैट्रिक पास ।	—	सीधी भर्ती द्वारा
77.	सेवादार एवं चौकीदार	मैट्रिक पास ।	—	सीधी भर्ती द्वारा
78	ट्रक क्लीनर	मैट्रिक पास ।	—	सीधी भर्ती द्वारा

परिशिष्ट ग

[देखिए नियम 16 (1)]

क्र० सं०	पदनाम	शास्ति का स्वरूप	शास्ति अधिरोपित करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1 2 3 4 5 6 7 8 9	अध्यक्ष प्रबन्ध निदेशक अपर प्रबन्ध निदेशक मुख्य महाप्रबन्धक मुख्य महाप्रबन्धक, विकास एवं जांच अधिकारी जिला न्यायवादी वरिष्ठ नगर योजनाकार वास्तुकार क्षेत्रीय प्रबन्धक	**छोटी शास्तियां :** (क) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी ; (ख) परिनिन्दा ; (ग) पदोन्नति रोकना ; (घ) उपेक्षा या आदशों के उल्लंघन द्वारा बोर्ड/मण्डी समिति को हुई धन सम्बन्धी पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली ; (ङ) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना ; **बड़ी शास्तियां:** (च) संचयी प्रभाव सहित वेतन वृद्धियां रोकना। ; (छ) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ; (ज) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतयः रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निर्देशों के साथ या उसके बिना होगा ; (झ) अनिवार्य सेवा निवृति ; (ञ) सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निर्हता नहीं होगी ; (ट) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निर्हता होगी ।	सरकार	—
10 11 12 13	मुख्य अभियन्ता महाप्रबन्धक (वित्त तथा लेखा) महाप्रबन्धक अपर महाप्रबन्धक	**छोटी शास्तियां :** (क) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी ; (ख) परिनिन्दा ; (ग) पदोन्नति रोकना ;	प्रबन्धक निदेशक	प्रशासकीय समिति

1	2	3	4	5
14 15 16 17 18	अधीक्षण अभियन्ता प्रशासकीय अधिकारी उप क्षेत्रीय प्रबन्धक (प्रवर्तन) कार्यकारी अभियन्ता सहायक वास्तुकार	(घ) उपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन द्वारा बोर्ड/मण्डी समिति को हुई धन सम्बन्धी पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली ; (ङ) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना ; **बड़ी शास्तियां :** (च) संचयी प्रभाव सहित वेतन वृद्धियां रोकना ; (छ) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निर्देशों सहित, कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ; (ज) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतयः रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निर्देशों के साथ या उसके बिना होगा ; (झ) अनिवार्य सेवा निवृति ; (ञ) सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निर्हता नहीं होगी ; (ट) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निर्हता होगी ।	प्रशासकीय समिति	बोर्ड
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	उप महाप्रबन्धक (वित्त तथा लेखा) जिला महाप्रबन्धक (प्रवर्तन) उप मण्डल अभियन्ता उप मण्डल अभियन्ता (भू–दृश्य–निर्माण) कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव पुस्तकाध्यक्ष वास्तुकला सहायक निजी सचिव सहायक जिला न्यायवादी सहायक महाप्रबन्धक (वित्त तथा लेखा) अधीक्षक	**छोटी शास्तियां :** (क) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी ; (ख) परिनिन्दा ; (ग) पदोन्नति रोकना ; (घ) उपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन द्वारा बोर्ड/मण्डी समिति को हुई धन सम्बन्धी पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली ; (ङ) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना ; **बडी शास्तियां :** (च) संचयी प्रभाव सहित वेतन वृद्धियां रोकना ; (छ) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान में निम्नतर प्रकम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित, कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर,, ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ;	प्रबन्धक निदेशक	बोर्ड

1	2	3	4	5
30	सहायक लेखा अधिकारी/अनुभाग अधिकारी	(ज) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतयः रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निर्देशों के साथ या उसके बिना होगा ; (झ) अनिवार्य सेवा निवृति ; (ञ) सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निर्हता नहीं होगी ; (ट) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निर्हता होगी ।	प्रबन्धक निदेशक	बोर्ड
31	मण्डलीय लेखाकार			
32	वरिष्ठ प्रारूपकार (वास्तुकार)			
33	वाणिज्यिक लेखाकार			
34	परिमण्डल मुख्य–प्रारूपकार सिविल			
35	कनिष्ठ नक्शानवीस प्रारूपकार			
36	निजी सहायक			
37	उप अधीक्षक			
38	सहायक सचिव			
39	कृषि कारबार प्रबन्धक			
40	मुख्य प्रारूपकार			
41	कनिष्ठ अभियन्ता			
42	कनिष्ठ अभियन्ता (भू–दृश्य निर्माण)			
43	सांख्यिकीय सहायक			
44	कानूनगो			
45	सहायक प्रारूपकार वास्तुकला			
46	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक			
47	सहायक लेखा			
48	लेखाकार मण्डी समिति			
49	सहायक प्रारूपकार			
50	मण्डी पर्यवेक्षक एवं फीस कलक्टर			
51	सहायक			
52	लेखा परीक्षक			
53	सहायक अग्नि उप अधिकारी			
54	पलम्बर			
55	इलैक्ट्रीशियन			
56	मोटर मैकेनिक			
57	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक			
58	चालक आप्रेटर			
59	लीडिंग फायरमैंन			
60	चालक			
61	पटवारी			

1	2	3	4	5
62. 63. 64 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71 72 73 74 75 76 77 78	कम्पयूटर संचालक रैस्टोरर डूप्लीकेटिंग मशीन संचालक बस परिचालक लिपिक आशुलिपिक फायरमैन नीलामी अभिलेखक नलकूप चालक दफ्तरी जमादार रोड रोलर कलीनर माली फैरो खलासी स्वीपर सेवादार एवं चौकीदार ट्रक क्लीनर	**छोटी शास्तियां** : (क) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी ; (ख) परिनिन्दा ; (ग) पदोन्नति रोकना ; (घ) उपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन द्वारा बोर्ड/मण्डी समिति को हुई धन सम्बन्धी पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली ; (ङ) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना ; **बड़ी शास्तियां** : (च) संचयी प्रभाव सहित वेतन वृद्धियां रोकना ; (छ) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निर्देशों सहित, कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर,, ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ; (ज) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतयः रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निर्देशों के साथ या उसके बिना होगा ; (झ) अनिवार्य सेवा निवृति ; (ञ) सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निर्हता नहीं होगी ; (ट) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निर्हता होगी ।	मुख्य महाप्रबन्धक	प्रबन्धन निदेशक

परिशिष्ट घ

[देखिए नियम 16 (2)]

क्र० सं०	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशँक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1	अध्यक्ष	(क) पेंशन को नियन्त्रित करने वाले नियमों के अधीन उसके अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना ; (ख) सेवा में किसी सदस्य को उसकी अधिवर्तिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।	सरकार	—
2	प्रबन्ध निदेशक			
3	अपर प्रबन्धक निदेशक			
4	मुख्य महाप्रबन्धक			
5	मुख्य महाप्रबन्धक, विकास एवं जांच अधिकारी			
6	जिला न्यायवादी			
7	वरिष्ठ नगर योजनाकार			
8	वास्तुकार			
9	क्षेत्रीय प्रबन्धक			
10	मुख्य अभियन्ता	(क) पेंशन को नियन्त्रित करने वाले नियमों के अधीन उसके अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना ; (ख) सेवा में किसी सदस्य को उसकी अधिवर्तिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।	प्रशासकीय समिति	बोर्ड
11	महाप्रबन्धक (वित्त तथा लेखा)			
12	महाप्रबन्धक			
13	अपर महाप्रबन्धक			
14	अधीक्षण अभियन्ता			
15	प्रशासकीय अधिकारी			
16	उप क्षेत्रीय प्रबन्धक (प्रवर्तन)			
17	कार्यकारी अभियन्ता			
18	सहायक वास्तुकार			
19	उप महाप्रबन्धक (वित्त तथा लेखा)	(क) पेंशन को नियन्त्रित करने वाले नियमों के अधीन उसकी अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना ; (ख) सेवा में किसी सदस्य को उसकी अधिवर्तिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति ।	प्रबन्धक निदेशक	बोर्ड
20	जिला महाप्रबन्धक (प्रवर्तन)			
21	उप मण्डल अभियन्ता			
22	उप मण्डल अभियन्ता (भू–दृश्य–निर्माण)			
23	कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव			
24	पुस्तकाध्यक्ष			
25	वास्तुकला सहायक			
26	निजी सचिव			

1	2	3	4	5
27	सहायक जिला न्यायवादी			
28	सहायक महाप्रबन्धक (वित्त तथा लेखा)			
29	अधीक्षक			
30	सहायक लेखा अधिकारी / अनुभाग अधिकारी			
31	मण्डलीय लेखाकार			
32	वरिष्ठ प्रारूपकार (वास्तुकार)			
33	वाणिज्यिक लेखाकार			
34	परिमण्डल मुख्य प्रारूपकार सिविल			
35	कनिष्ठ प्रारूपकार (वास्तुकार)			
36	निजी सहायक			
37	उप अधीक्षक			
38	सहायक सचिव			
39	कृषि कारबार प्रबन्धक			
40	मुख्य प्रारूपकार			
41	कनिष्ठ अभियन्ता			
42	कनिष्ठ अभियन्ता (भू–दृश्य निर्माण)			
43	सांख्यिकीय सहायक			
44	कानूनगो			
45	सहायक प्रारूपकार (वास्तुकार)			
46	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक			
47	सहायक (लेखा)			
48	लेखाकार (मण्डी समिति)			
49	सहायक प्रारूपकार			
50	मण्डी पर्यवेक्षक एवं फीस कलक्टर			
51	सहायक			
52	लेखा परीक्षक			
53	सहायक अग्नि उप अधिकारी			
54	पलम्बर			

1	2	3	4	5
55	इलैक्ट्रीशियन			
56	मोटर मैकेनिक			
57	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक			
58	चालक आप्रेटर			
59	लीडिंग फायरमैन			
60	चालक			
61	पटवारी			
62	कम्पयूटर संचालक			
63	रैस्टोरर			
64	डूप्लीकेटिंग मशीन संचालक			
65	बस परिचालक			
66	लिपिक			
67	आशुटंकक			
68	फायरमैन			
69	नीलामी रिकार्डर			
70	नलकूप चालक			
71	दफ्तरी	(क) पेंशन को नियन्त्रित करने वाले नियमों के अधीन उसके अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना ; (ख) सेवा में किसी सदस्य को उसकी अधिवर्तिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।	मुख्य महाप्रबन्धक	प्रबन्धक निदेशक
72	जमादार			
73	रोड रोलर कलीनर			
74	माली			
75	फैरो खलासी			
76	स्वीपर			
77	सेवादार एवं चौकीदार			
78	ट्रक क्लीनर			

राजकुमार,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव,
हरियाणा सरकार, कृषि विभाग।